न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/15/2021

मोहन देई उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बद्रीपुर तहसील डीग जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 20.07.2021 बावत मुकदमा नम्बर 30/2020 अन्तर्गत अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 20.07.2021 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसिल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व पत्रावली के विपरीत एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि काबिल खारिज है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी कारण बताओ नोटिस का जबाब को कन्सीडर नही किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 20.07.2020 को मौके पर जाकर कोई जांच नही की बल्कि फर्जी शिकायतकर्त्ता उमरहाजी के भीलमका के कमरे पर जाकर उनके कहे

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अनुसार दबाब में गलत जांच रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें न तो किसी उपभोक्ताओं के बयान व साक्ष्य लिये गये है। अपीलाधीन आदेश में जो गेहूं नही देने का आरोप लगाया वह गलत व तथ्यों के विपरीत है क्योंकि कोरोना काल में माह अप्रेल 20 में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक बार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत व एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 2 बार प्रति व्यक्ति 10 किग्र गेहूं वितरित किया गया था। इन योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह अप्रेल 20 में दो बार गेहूं का वितरण किया गया था। कोरोना काल में अधिक भीड एक साथ एकत्रित नही हो इस कारण जल्दबाजी में कुछ राशनकार्डो में सहवन से इन्द्राज होने से रह गया हो सकता है इसके पीछे अपीलान्ट की कोई मेन्सरिया नही था और ना ही कालाबाजारी होना तहत न्यायालय ने साबित किया है। अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित किया है पूर्व में भी उचित मूल्य दुकानदार को अनियमितताओं के मामले में निलम्बित किया गया था तथा निलम्बन अवधि में भी सात उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर दिनांक 14.04.2020 को उक्त उपभोक्ताओं के हिस्से का कुल 285 किग्रा गेहूं बाईपास द्वारा निकाला गया है। उक्त पूर्व के मामले में तहत न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2021 के अनुसार अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर कानूनी भूल की है क्योकि उक्त मुकदमें का मैटर अलग था जिसकी जांच अलग से की गई थी व जिसमें अपीलान्ट द्वारा बता दिया गया था कि उसके कोई सूचना नही थी कि तहत न्यायालय के द्वारा उसे दिनांक 05.04.2020 को निलम्बित किया जा चुका है। अपीलान्ट ने पूर्व के अनुसार ही जानकारी के अभाव में वितरण किया था तथा उक्त जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2020 से हुई जब डीलर भीमसिंह उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट से दुकान का चार्ज लेने आया तो उसने बिना किसी देरी के उसी दिन अपनी दुकान व पोस मशीन का चार्ज डीलर भीम सिंह को दे दिया था तथा तहत न्यायालय द्वारा बाद ट्रायल अपीलान्ट को निर्दोष मानते हुये आदेश दिनांक 06.07.2020 को प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट को किसी मुकदमें निर्दोष माना गया है, के आधार पर इस मुकदमें तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोप विरचित किये गये है वह काबिले खारिज है। अपीलान्ट के विरूद्व जो शिकायत की गई वह झूठी है और राजनैतिक रंजिशवश की गई है। अपीलान्ट द्वारा जबाव पेश किये जाने के बाद साक्ष्य आदि पेश करने हेतु मौका चाहा गया किन्तु तहत न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट का लाइसेन्स ही निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट एक विधवा व कम पढी लिखी महिला है जो कि किसी प्रकार से कालाबाजारी या गबन में आरोपित नही रही है, और ना ही अपीलाधीन आदेश में आरोप सिद्व रहता है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है जिससे अपीलान्ट का रोजगार चला गया है जिसके कारण उसके बच्चों के भरण पोषण में काफी दिक्कते आ रही है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

20.07.2021 को निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया गया है।

पैरोकार रसद का तर्क है कि प्रवर्तन अधिकारी डीग की जांच रिपोर्ट में मौके पर शिकायतकर्त्ताओं से पूछताछ करने पर सभी उपभोक्ताओं ने अवगत कराया कि राशन दुकानदार ने माह अप्रेल 2020 के प्रथम पखबाडे का फर्जी तरीके से बाईपास करके निकाल लिया व उन्हे गेहूं नही दिया गया है। जिनकी ऑनलाइन सात उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की रैन्डम रिपोर्ट में पाया कि दिनांक 14.04.2020 को बाईपास से गेहूं निकाला गया है। जबकि दुकानदार का अनुज्ञा पत्र उक्त दिनांक से पूर्व दिनांक 07.04.2020 को निलम्बित हो चुका था। उक्त डीलर द्वारा अनुचित तरीके से फर्जीवाडे से उपभोक्ताओं का 285 किग्रा गेहूं निकाला है। शिकायतकर्त्ता उपभोक्ताओं को माह अप्रेल 20 में दो बार के वितरण में से एक बार का ही गेहूं का वितरण किया गया है। अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय व अवसर दिये गये है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाब में उपभोक्ताओं को गेहूं वितरण करना एवं राशनकार्डो पर उपभोक्ताओं द्वारा मना किये जाने पर इन्द्राज न कर पाना अंकित किया है जिसाकी सत्यता को प्रमाणित करने बाबत न तो किसी उपभोक्ता के बयान या शपथ पत्र प्रस्तुत किये है और ना ही व्यक्तिश कोई उपस्थित हुआ है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है जो कि विधि अनुरूप है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु डीलर द्वारा राशन वितरण में उपभोक्ताओं को माह अप्रेल 2020 कोरोना काल में दो बार गेहूं वितरण न कर एक बार ही वितरण करना एवं कुछ उपभोक्ताओं का राशन बाईपास तरीके से उठाव करने का है। डीलर द्वारा अपने जबाब में कोरोना काल में ज्यादा भीड एकत्रित न करने व भीड में कुछ उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में खाद्यान्न वितरण का इन्द्राज नही होना तथा निलम्बन की जानकारी न होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं का राशन बाईपास तरीके से वितरण किया गया है तथा कोरोना काल में पोस मशीन में उपभोक्ताओं द्वारा अगूंठा लगाने से मना कर बाईपास तरीके गेहूं ले जाना एवं गेहूं लेने के दौरान अपने राशनकार्ड भी इन्द्राज हेतु उपलब्ध नही कराया जाना अवगत कराया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जबाब पेश किया गया है व कोई साक्ष्य आदि पेश नही किये गये है। दौराने बहस शिकायतकर्त्ता सप्पी पुत्र विरमा, सहकुल पुत्र फजरू, इबरम पुत्र सौदान तथा उम्मर पुत्र गुलाम के शपथ पत्र पेश किये गये जिनमें शिकायतकर्त्ताओं द्वारा राशनडीलर के विरूद्व फर्जी शिकायत करने व डीलर से किसी भी प्रकार शिकायत नही होने व माह अप्रेल 2020 का पूर्ण

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

खाद्यान्न प्राप्त करने तथा डीलर के विरूद्व की गई शिकायत को निरस्त किये जाने हेतु पेश किये है। तहत न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व डीलर के विरूद्व की गई शिकायत की सत्यता की जांच नही की गई है और न ही डीलर को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का मौका न देते हए नियम विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो कि तार्किक नहीं कहां जा सकता। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण होने से समर्थन किये जाने योग्य नही रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2021 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 30.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर